दिनांक 16.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित पश्चिम चंपारण एवं अरवल जिले के कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही:—

उपस्थिति:—संचिका में संधारित।

1. **माप—तौल** :— सहायक नियन्त्रक, माप—तौल, प० चंपारण द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 84 पेट्रोल पंप, 21 वेब्रीज, 24 गैस एजेंसी एवं 11 किरोसिन तेल डिपो हैं। जिले में मात्र निरीक्षक के स्वीकृत 03 पदों में एक भी निरीक्षक कार्यरत नहीं है। एक लिपिक एवं एक अनुसेवक कार्यरत हैं। जिले के वर्ष 2014—15 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 21.06 लाख के विरूद्ध 27.97 लाख की प्राप्ति हुई है।

प्रधान सचिव द्वारा सहायक नियन्त्रक, माप—तौल, प० चंपारण से यह पूछे जाने पर कि जिले में वेब्रीज कहाँ—कहाँ अवस्थित हैं तो इस संबंध में इनके द्वारा कोई स्पष्ट जबाद नहीं दिया जा सका।

सहायक नियन्त्रक, माप—तौल, अरवल द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 16 पेट्रोल पंप, 10 गैस एजेंसी एवं 01 किरोसिन तेल डिपो हैं। सहायक नियन्त्रक, माप—तौल, जहानाबाद ही अरवल जिले के प्रभार में हैं। जहानाबाद जिले के निरीक्षक ही अरवल जिला के अतिरिक्त प्रभार में हैं। अरवल जिला में निरीक्षक का स्वीकृत पद नहीं है। जिले के वर्ष 2014—15 में राजस्व प्राप्ति का जहानाबाद एवं अरवल जिले का लक्ष्य 10.39 लाख के विरूद्ध 13.50 लाख की प्राप्ति हुई है, जिसमें अरवल जिला में राजस्व प्राप्ति 4.31 लाख रूपये है।

दोनों जिलों को निदेश दिया गया कि जिले के माप—तौल कार्यालयों में कर्मियों के कुल स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों की विवरणी अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु संयुक्त निदेशक—सह—नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

2. **जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम** :— प० चंपारण जिले में जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम में प० चंपारण जिले में वर्ष 2014—15 में वर्मी कम्पोस्ट वितरण में भौतिक लक्ष्य 7875 क्वींटल के विरूद्ध उपलब्धि 2125 क्वींटल एवं वित्तीय लक्ष्य 23.63 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 7.08 लाख रूपये है, जो 29.97 प्रतिशत है।

   इस पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया और निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत—प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

   अरवल जिला में इस वर्मी कम्पोस्ट वितरण में उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

3. **वर्मी कम्पोस्ट** :— जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे वर्मी कम्पोस्ट के अनुदान का भुगतान 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से कर दें।

वर्मी कम्पोस्ट वितरण की जाँच कराने एवं सत्यापन कराने का निदेश दिया गया। जिले में कितना वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन एवं वितरण हुआ, इसका प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

4. **गोबर गैस संयंत्र** :– गोबर गैस संयंत्र में प० चंपारण जिले में वर्ष 2014--15 में भौतिक लक्ष्य 393 के विरूद्ध उपलब्धि 48 एवं वित्तीय लक्ष्य 113.97 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 11.54 लाख रूपये है, जो 10.13 प्रतिशत है एवं अरवल जिला की वित्तीय उपलब्धि 90.10 प्रतिशत है।

परियोजना निदेशक, आत्मा, प० चंपारण को निदेश दिया गया कि जिले के प्रत्येक गाँव में कम–से–कम 25 व्यक्तियों को अगले दो महीने के अंदर गोबर गैस संयंत्र बनाने का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाय।

जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि टेक्नोलॉजी का Demonstration करने एवं इच्छुक व्यक्तियों को चिन्हित कर लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

5. **बीजोपचार** :– इस योजना में प० चंपारण जिले की वित्तीय उपलब्धि 98.80 प्रतिशत एवं अरवल जिले की उपलब्धि 98.00 प्रतिशत है, इस पर प्रधान सचिव द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में बीज का कंपनीवार तथा जिलावार पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित हों।

6. **कृषि यांत्रिकरण योजना** :– इस योजना में वर्ष 2014–15 में प० चंपारण जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 6.42 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 6.24 करोड़ है। जिले में जीरोटिल/सीड–कम फर्टिलाईजर ड्रील में वित्तीय उपलब्धि 4.65 प्रतिशत, पावर टीलर में 6.39 प्रतिशत एवं रीपर बाईंडर में 4.31 प्रतिशत है।

इस योजना में वर्ष 2014–15 में अरवल जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 1.85 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 1.86 करोड़ रूपये है। जिले में पावर टीलर में उपलब्धि 27.35 प्रतिशत एवं रोटा भेटर में उपलब्धि 17.33 प्रतिशत है।

इस पर श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण द्वारा बताया गया कि अरवल जिले द्वारा ऑनलाईन रिर्पोटिंग के अनुसार 1.34 करोड़ रूपये का ही अनुदान का भुगतान किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक–दो दिन में अनुदान की राशि की ऑनलाईन प्रविष्टि कर दी जाएगी।

ऑनलाईन एवं ऑफलाईन रिपोर्टिंग में भिन्नता पायी गयी। दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर शुद्ध रिपोर्ट कृषि निदेशक को भेजना सुनिश्चित की जाय। साथ ही शेष बचे लाभार्थियों को RTGS के माध्यम से अनुदान का भुगतान कर सूचित करें।

योजना के कार्यान्वयन के उपरांत जो राशि अवशेष रह गयी है एवं राशि की आवश्यकता नहीं है, उस पर प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का निदेश दिया गया।

7. **अन्न भंडारण योजना** :– प० चंपारण जिले में वर्ष 2014–15 में अन्न भंडारण हेतु धातु कोठिला वितरण का भौतिक लक्ष्य 2512 के विरूद्ध उपलब्धि 2408 एवं अरवल जिला में भौतिक लक्ष्य 542 के विरूद्ध उपलब्धि 538 है।

दोनों जिलों की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

8. **रब्बी अभियान** :– इस योजना में प० चंपारण जिले का वित्तीय लक्ष्य 21.43 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 20.53 लाख एवं अरवल जिले का वित्तीय लक्ष्य 37.25 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 33.48 लाख रूपये है।

अरवल जिले की खराब उपलब्धि पर प्रधान सचिव द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं दोनों जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रब्बी अभियान के तहत मक्का एवं मटर के बीज का भौतिक सत्यापन एवं कैशबुक की जाँच शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

मक्का एवं दलहन के अतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण में कितना उत्पादन हुआ, इसका आँकड़ा प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

9. **खरीफ योजना** :– इस योजना में प० चंपारण जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 9.83 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 9.69 लाख एवं अरवल जिले का कुल वित्तीय लक्ष्य 3.40 करोड़ के विरूद्ध उपलब्धि 2.73 करोड़ रूपये है। अरवल जिला में पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण में उपलब्धि 3.33 प्रतिशत, पैडी ड्रम सीडर से धान प्रत्यक्षण में उपलब्धि 15.00 प्रतिशत एवं जिरोटिल/सीडड्रिल से धान प्रत्यक्षण में उपलब्धि 18.69 प्रतिशत है।

जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि जिले में नहर आच्छादित क्षेत्र रहने के कारण पैडी ट्रांसप्लांटर एवं पैडी ड्रम सीडर उपयोगी नहीं हो पा रहा है। नोडल पदाधिकारी, कृषि यांत्रिकरण को निदेश दिया गया कि इस संबंध में एक नीति तैयार करें, जिसमें किसान पैडी ट्रांसप्लांटर एवं पैडी ड्रम सीडर का लगातार उपयोग कर सकें।

निदेशक, पी०पी०एम० को राज्य में जी०टी० रोड के किनारे मक्का एवं अरहर का बीज लगाने हेतु बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल को निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाय।

10. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में प० चंपारण एवं अरवल जिले में चावल एवं गेंहूँ की योजना लागू नहीं है। वर्ष 2014–15 में प० चंपारण जिले में दलहन में गरमा मूँग प्रत्यक्षण में वित्तीय लक्ष्य 6.26 लाख रूपये के विरूद्ध उपलब्धि 4.85 लाख रूपये है। सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण में उपलब्धि 50 प्रतिशत, समेकित कीट प्रबंधन में उपलब्धि 59.82 प्रतिशत, रोटावेटर में उपलब्धि 28.57 प्रतिशत, सिंचाई पाईप में उपलब्धि 11.34 प्रतिशत है।

प्रधान सचिव द्वारा जिले में कम उपलब्धि का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी, प० चंपारण द्वारा कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया गया।

अरवल जिले में इस योजना में दलहन में खरीफ मक्का प्रत्यक्षण में वित्तीय उपलब्धि शून्य प्रतिशत है, मसूर प्रत्यक्षण में उपलब्धि 79.90 प्रतिशत एवं रोटावेटर में वित्तीय लक्ष्य 0.70 लाख के विरूद्ध उपलब्धि 0.20 लाख रूपये है।

प्रधान सचिव द्वारा जिले में मसूर प्रत्यक्षण में उपलब्धि कम होने का कारण पूछे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि कम मात्रा में मसूर के बीज आपूर्ति होने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

11. **<u>बीज ग्राम योजना</u>** :– इस योजना में प० चंपारण जिले का धान बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य 1176 क्विंटल के विरूद्ध उपलब्धि 371 क्विंटल एवं गेहूँ बीज वितरण में लक्ष्य 3600 क्विंटल के विरूद्ध उपलब्धि 1999 क्विंटल है। इस योजना में अरवल जिले की उपलब्धि संतोषजनक पायी गयी।

12. **<u>एकीकृत बीज ग्राम योजना</u>** :– उप निदेशक (बीज), कृषि विभाग, बिहार, पटना को निर्देश दिया गया कि प० चंपारण एवं अरवल जिले में इस योजनांतर्गत पिछले वर्ष कितना गेंहूँ वितरित की गयी है, उसकी पूर्ण विवरणी उपस्थापित की जाय तथा सभी प्रकार के बीज पर अनुदान का एक Write up तैयार करने हेतु निदेशित किया गया।

13. **<u>डीजल अनुदान</u>** :– डीजल अनुदान वितरण हेतु वर्ष 2014–15 में प० चंपारण जिले को 3.38 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 2.33 करोड़ रूपये की निकासी की गयी है एवं अरवल जिले को 2.22 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जिसके विरूद्ध 2.17 करोड़ रूपये की निकासी की गयी है। दोनों जिलों द्वारा शेष राशि विभाग को प्रत्यर्पित कर दी गयी है।

जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल को निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में कितने किसानों को डीजल अनुदान का वितरण किया गया है, इसकी अनुदान वितरण पंजी से मिलान करके विवरणी उपलब्ध करायें।

निर्देश दिया गया कि पूर्व के वर्षों का लंबित डी०सी० विपत्र शीघ्र समर्पित किया जाय।

14. **<u>ई–किसान भवन</u>** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, प० चंपारण द्वारा बताया गया कि जिले में 10 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, पौधा संरक्षण के पदाधिकारी आदि कार्य कर रहे हैं।

जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि जिले में कुल 05 ई–किसान भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। अरवल जिले में कुल 40.00 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र विभाग को भेजने हेतु निदेशित किया गया।

जिला कृषि पदाधिकारियों को ई–किसान भवन में शौचालय, पानी की सुविधा, चहारदीवारी, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी पूर्ण विवरणी एवं फोटोग्राफ लेकर अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

15. **<u>नमूना जाँच</u>** :– प० चंपारण जिले में उर्वरक के 10 अमानक एवं अरवल जिले में 01 अमानक पाये गये हैं। निर्देश दिया गया कि नमूना जाँच हेतु सभी जिलों के लिए बीज नमूना जाँच केन्द्र का प्रमंडलवार निर्धारण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

16. **<u>राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र</u>** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में जिलों कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफर्मर, पानी, बोरिंग, कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

17. **<u>आत्मा योजना</u>** :– निर्देश दिया गया कि रब्बी में गेंहूँ में क्या–क्या समस्याएं हैं, इसकी सूची उपलब्ध करायी जाय।

आत्मा योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं सरकारी नर्सरी में प्रत्यक्षण कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका योजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

18. **<u>बाजार समिति</u>** :– बाजार समिति प्रांगणों में हो रहे अतिक्रमण एवं चहारदीवारी के संबंध में अगली बैठक में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

19. **<u>उद्यान योजना</u>** :– उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

20. **<u>उद्यान नर्सरी</u>** :– मुख्य रूप से पपीता के पौधे की उपलब्धता हेतु पॉली हाऊस या नेट हाऊस बनाने का निर्देश सहायक निदेशक, उद्यान को दिया गया। निर्देश दिया गया कि अगली बैठक में नर्सरी की संबंध में पूर्ण विवरणी के साथ उपस्थित हों।

21. **<u>हरित चादर योजना</u>** :– इस योजना के अन्तर्गत वितरीत किये जा रहे मूंग बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 20.05.2015 तक एवं ढैंचा बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.06.2015 तक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से कराने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।